न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़ (जिला–जोधपुर) राज.

पीठासीन अधिकारी : **श्री जवाहर राम चौधरी, आर0ए0एस0**

राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या : 42/2020

–: प्रार्थीगण :–	बनाम	–: अप्रार्थीगण :–
1. पिंकी पत्नी ओमप्रकाश जाति जाट निवासी आसोप 2. रामस्वरूप पुत्र भगवानराम जाति जाट निवासी बारनी कलां तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर		1. हड़मानराम पुत्र पूनाराम 2. सीतादेवी पुत्री पूनाराम 3. बाउदेवी पुत्री पूनाराम जातियान जाट निवासी कुकड़दा 4. प्रबंधक आई.सी.आई.सी.आई बैंक शाखा पालड़ी राणावतां 5. प्रबंधक देना बैंक शाखा आसोप 6. तहसीलदार भोपालगढ़

राजस्व प्रार्थनापत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थितः–

1. श्री गुमानराम चौधरी, रामकिशोर चौधरी, रामदयाल चौधरी अधिवक्ता, प्रार्थीगण।
2. श्री श्यामलाल चौधरी अधिवक्ता, अप्रार्थीगण संख्या 01।
3. अप्रार्थीगण संख्या 02 से 06 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः–31/03/2021**

प्रार्थीगण वकील की तरफ से प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट के तहत पेश किया तथा अपनी ओर से निवेदन किया कि ग्राम कुकड़दा तहसील भोपालगढ़ की सरहद में भूमि खाता संख्या 106 जिसके खसरा नं. 590 रकबा 73 बीघा 09 बिस्वा किस्म बारानी प्रथम भूमि स्थित है, उक्त आराजी को आगे प्रार्थनापत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से संबोधित किया गया है। सबूत में जमाबंदी संवत् 2060 से 2063 तक मय नक्शा के संलग्न पेश है। वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 01 से 03 की संयुक्त खातेदारी हकूक की कब्जा सुद भूमि है, जिसमें प्रार्थीगण का 1/4 वां हिस्सा व अप्रार्थी संख्या 01 से 03 का 3/4 वां हिस्सा है, जिस पर प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 01 से 03 साथ साथ संयुक्त रूप से काबिज है, जिसका प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 01 से 03 के मध्य आज दिन तक किसी प्रकार का बंटवाडा किया हुआ नही है। वादग्रस्त आराजी अविभाजित है, जिस पर प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 01 से 03 संयुक्त रूप से सहूलियत अनुसार काबिज है। अप्रार्थी संख्या 01 से 03 ने अविभाजित आराजी को अजनबी व्यक्तियों को बेचान करने की नीयत से दिखाने लगे तो प्रार्थीगण ने मना किया कि वादग्रस्त आराजी अभी तक अविभाजित है, इसलिये पहले वादग्रस्त आराजी का कानून अनुसार बंटवाडा करा लो, उसके बाद अप्रार्थी संख्या 01 से 03 अपने हक हिस्से की जमीन बेचना, इस पर अप्रार्थी संख्या 01 से 03 अत्यधिक नाराज हो गये तथा वादग्रस्त आराजी को बेचान करने की धमकी दी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahara Ram Choudhary
Date: 2021.07.05 18:21:00 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़ (जोधपुर)

और प्रार्थीगण को जमीन से बेदखल करने की धमकी दी, जबकि उन्हें ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार नही है। वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 01 से 03 की पुश्तैनी सम्पति है, वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 01 से 03 संयुक्त रूप से सहूलियत अनुसार काबिज है। वादग्रस्त आराजी के प्रत्येक इंच पर प्रत्येक सहखातेदार काश्तकार का समान हक व हिस्सा बनता है, ऐसी स्थिति में अविभाजित आराजी को अप्रार्थी संख्या 01 से 03 को खुर्द बुर्द करने का व बेचान करने का कोई विधिक अधिकार नही है, जिन्हें न्यायहित में रोका जाना आवश्यक है। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है, क्योंकि वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण की सहदायगी कब्जा सुद भूमि है, यदि अप्रार्थी संख्या 01 से 03 ने प्रार्थीगण को वादग्रस्त आराजी से बेदखल कर दिया तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन रूपयों में नही आंका जा सकता है, क्योंकि अविभाजित आराजी के प्रत्येक इंच पर प्रत्येक सहखातेदार काश्तकार का समान हक व हिस्सा है। लेकिन अप्रार्थी संख्या 01 से 03 ने अगर वादग्रस्त आराजी बेचान कर दी व प्रार्थीगण को बेदखल कर दिया तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। अतः श्रीमान् न्यायालय हाजा से निवेदन है कि राजस्व मूल वाद के विचारण के दौरान प्रार्थीगण के हक में एवं अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश जारी फरमाया जावे कि वादग्रस्त आराजी ग्राम कुकड़दा तहसील भोपालगढ़ की सरहद में भूमि खाता संख्या 106 जिसके खसरा नं. 590 रकबा 73 बीघा 09 बिस्वा किस्म बारानी प्रथम भूमि में प्रार्थीगण के हक हिस्सा व कब्जे काश्त में अप्रार्थी संख्या 01 से 03 दखल अंदाजी उत्पन्न नही करे, न ही किसी अन्य से करावे तथा वाद ग्रस्त आराजी में राजस्व रेकर्ड व मौका की यथा स्थिति बनाये रखे जाने का आदेश फरमावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से श्री श्यामलाल चौधरी अधिवक्ता ने वकालतनामा एवं जवाब प्रार्थनापत्र पेश किया गया जो शामिल मिसल किया गया एवं प्रार्थीगण अधिवक्ता को प्रति दी गयी। बावजूद सम्मन तामिली एवं न्यायालय में बार बार आवाज लगाये जाने के उपरान्त भी उपस्थित नही होने पर अप्रार्थीगण सख्या 02 से 06 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से पेश जवाब प्रार्थनापत्र में बताया गया कि प्रार्थी ने अपने प्रार्थनापत्र झूठे तथ्यों के आधार पर पेश किया है जिसमें प्रार्थी को सफलता नही मिल सकती है। वादग्रस्त आराजी पर अप्रार्थीगण का ही कब्जा काश्त है तथा प्रार्थीगण का कोई कब्जा काश्त नही है तथा नही कभी रहा है। वादग्रस्त आराजी पर अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त है तथा अप्रार्थी ने सन् 2011 में मुन्नाराम पुत्र नाराराम जाति जाट निवासी माणकपुर से रूपये 1,50,000 अक्षरे एक लाख पचास हजार रूपये उधार लिया था तथा सिक्योरिटि के तहत अडाणगत बेचाननामा मुन्नाराम को किया था लेकिन मुन्नाराम को कब्जा सुपुर्द नही किया गया तथा कुछ वर्ष बाद मुन्नाराम को रूपये 1,25,000 अक्षरे एक लाख पच्चीस हजार रूपये दे दिया गया तथा शेष रूपये 25,000 अक्षरे पच्चीस हजार मय ब्याज बकाया था, इस प्रकार वादग्रस्त आराजी का आज दिनांक तक कब्जा काश्त अप्रार्थीगण का ही है। प्रार्थीगण का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त नही तो था व नही है तथा न ही प्रार्थीगण को बेचानकर्ता खिंयाराम पुत्र मोडाराम जाट भोपालगढ़ ने कब्जा [illegible] था। केवल मात्र कागजी बेचाननामा किया जा रहा है। अप्रार्थीगण ने आज दिनांक तक कब्जा [illegible] किया [illegible] प्रार्थीगण द्वारा कब्जा प्राप्ति का प्रार्थनापत्र भी नही है तथा बिना कब्जा काश्त [illegible] का बंटवारा का दावा भी चल नही सकता है, इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र [illegible] साथ खारिज फरमाया जावे। यह कहना भी गलत है कि वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की पुश्तैनी सम्पति है। वादग्रस्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahara Ram Choudhary
Date: 2021.07.05 18:21:00 IST
Reason: Self Attested

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़ (जोधपुर)

भूमि अप्रार्थीगण के कब्जा काश्त की है। प्रार्थीगण को कोई कब्जा काश्त नही तो था व न ही है, इसलिए प्रथम दृष्टया सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के हक में नही बनता है तथा यदि कोई अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो अपूरणीय क्षति अप्रार्थीगण को होगी, इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र भारी हर्जा खर्चा के साथ खारिज फरमाया जावे।

बहस वकुलाय उभयपक्ष सुनी गयी। प्रार्थीगण वकील ने वक्त बहस कथन किया कि अप्रार्थी बंटवाडा नही करा रहा है, विवादित जमीन का कब्जा बेचान के दिन ही प्राप्त कर लिया था। अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु आवश्यक तीनों बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होने से मूल दावे के निस्तारण तक प्रार्थीगण के पक्ष में एवं अप्रार्थीगण के विरूद्ध राजस्व रेकर्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश पारित किया जाए। अप्रार्थीगण वकील ने वक्त बहस कथन किया कि भूमि का बेचान उधार लेन–देन में हुआ है। मुनाराम को कब्जा नहीं दिया गया था, फिर आगे से आगे बेचान बिना कब्जे के हुआ है, अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु आवश्यक तीनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में नहीं है। अप्रार्थी अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति रखी जाए तो अप्रार्थीगण को कोई आपति नही है।

हमने पत्रावली मय संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन व अध्ययन किया। बहस वकुलाय उभयपक्ष पर मनन किया गया। राजस्व रेकर्ड के अनुसार प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सहखातेदार है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के बीच वादग्रस्त भूमि के संबंध में कब्जे काश्त व बंटवाडे को लेकर आपसी विवाद है। अप्रार्थीगण अधिवक्ता ने भी राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखने हेतु न्यायालय द्वारा आदेश जारी किये जाने के संबंध में कोई आपति नहीं होने का कथन किया है। इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखने हेतु राजस्व मूल वाद के निस्तारण तक अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश जारी किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थीगण के पक्ष में एवं अप्रार्थीगण के विरूद्ध राजस्व मूल वाद विचारण दौरान एवं अंतिम निर्णय तक अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम कुकड़दा तहसील भोपालगढ़ की सरहद में भूमि खाता संख्या 106 जिसके खसरा नं. 590 रकबा 73 बीघा 09 बिस्वा किस्म बारानी प्रथम भूमि में अप्रार्थीगण राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़
जिला–जोधपुर (राज.)

निर्णय आज दिनांक 31/03/2021 को सरे ईजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़
जिला–जोधपुर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Jawahara Ram Choudhary
Date: 2021.07.05 18:21:00 IST
Reason: SelfAttested